



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रॉसिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक: 2110 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / पी-3

दिनांक: 03.12.2018

कार्यालय ज्ञाप

सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 120/2017/XXVII/45 (10)/2016 दिनांक 05.07.2018 के अनुक्रम में दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक पुनरीक्षित पेंशन के अवशेष देयता (Arrear) की 50 प्रतिशत धनराशि अन्तिम किश्त के रूप में भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 2110 / मा०सं०एवंप्र०अनु० / पिटकुल / पी-3 तददिनांक :

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-सचिव (ऊर्जा) एवं अध्यक्ष, पिटकुल, सचिवालय, देहरादून।
2. निजी सहायक-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. निदेशक (मा०सं०) / (वित्त) / (परिचालन) / (परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड शासन, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
5. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड शासन, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-I/II) / समस्त महाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / समस्त उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
8. उपमहाप्रबन्धक (सू०प्रौ०), पिटकुल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस आदेश को पिटकुल की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
9. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल,.....।
11. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 84/1 बसन्त विहार, देहरादून / उत्तरांचल वि०पेंशनर्स कल्याण समिति, हरबर्टपुर।
12. कट फाइल।

(ए०के० जुयाल)

उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०)